


पक्षकारों एवं
आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल में प० ग्रामियर, कैम्प रीवा, म०प०



R 5381.5116

1- श्री चन्द्रका प्रसाद कुशवाहा तथा श्री हरीलाल कुशवाहा

R 30/-

2- श्री अयोध्या प्रसाद कुशवाहा तथा श्री हरीलाल कुशवाहा

3- श्री राम प्रसाद कुशवाहा तथा स्व. नन्दलाल कुशवाहा ,

सभी निवासी ग्राम सरस्वाह राजा, तहसील व जिला सिंगरौली म०प०

— निगरानी कताग्राम

अटेंड. मी संपर्क इवान
इता उत्तर

30.8.16

बलराम के बारे में लिखा गया है।
बलराम कुशवाहा तथा स्व. रामसुन्दर कुशवाहा

१- रामललू पिता रामसुन्दर कुशवाहा

२- राजाराम,

३- भागीरथी

४- सत्यनारायण

५- आत्मराम पिता भगवानदास

६- बृहरामेश्वर

७- किस्मतिया पत्नी स्व. भगवानदास

४- आरामबरन पिता शरमसुख वैस

८- बृहद दरिलाल वगै. पिता जगदेश

९- लाले कुशवाहा वगै. पिता सुदामा कुशवाहा

१०- सुशील पिता रामरेखा

११- जय प्रकाश पिता रमाशंकर कुशवाहा

१२- अंदीप पिता महादेव कुशवाहा

१३- बृहद बृजेश पत्नी नि. सरस्वाह राजा. तह. व जिला सिंगरौली म०प०

१४- शासन म०प० -

— गैरनिगरानी कताग्राम

Signature of P. S. Nigrahanee
निगरानी विश्वद आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग.5381-II / 2016

जिला-सिंगरौली

चंद्रिका प्रसाद / बलराम कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल बैड़न, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 47/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	(3)